न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– 157/2020

वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए

पोलाराम पुत्र लेखराम जाति जाट सा.धोलीपाल।

––वादी

बनाम

1. पोकरराम पुत्र छोटूराम जाति कुम्हार सा.धोलीपाल।
2. बुधराम पुत्र छोटूराम जाति कुम्हार सा.धोलीपाल।
3. ग्यारसी पत्नी छोटूराम जाति कुम्हार सा. धोलीपाल।
4. लालूराम पुत्र कालूराम जाति कुम्हार सा.धोलीपाल।
5. बनवारी लाल पुत्र लेखराम जाति जाट सा.धोलीपाल।
6. कमला पुत्री बीरूराम जाति जाट सा.धोलीपाल।
7. कृष्णादेवी पत्नी पोलाराम जाति जाट सा.धोलीपाल
8. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

––प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री राजेश बुढानियां वकील––वादी
2– श्री मनीराम सहू वकील––प्रति सं. 5 ता 7

–: निर्णय :– दिनांक :– 30.08.2024

वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादीगण पंजीबद्व व प्रमाणित पता वही है जो वादपत्र के शीर्षक में निवेदित है। चक 20 एमजेडी जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 84/75 में पोकरराम बुधराम पि. छोटूराम मु.ग्यारसी बेवा छोटूराम बहिब 3.162 हि. लालूराम वल्द कालूराम कौम कुम्हार सा.धोलीपाल बनवारी लाल पोलाराम पि. लेखराम बहिब 0.591 हि. कमला पुत्री बीरूराम 0.590 हि. कृष्णा देवी पत्नी पोलाराम 0.590 हि. जाति जाट सा.धोलीपाल खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का कब्जाकाश्त निम्न प्रकार है कि चक 20 एमजेडी जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 84/75 बनारीलाल, पोलाराम पि.लेखराम 0.591 हि. कृष्णादेवी पत्नी पोलाराम 0.590 हि. कमला पुत्री बीरूराम 0.590 हि. जाति जाट सा.धोलीपाल खातेदार कुल रकबा 1.771 है. इस खाते में पोकरराम बुधराम पि. छोटूराम मु.ग्यारसी बेवा छोटूराम बहिब 3.162 हि.लालूराम वल्द कालूराम कौम कुम्हार सा.धोलीपाल का कब्जाकाश्त नही है। अतः इस खाते में हिस्सा व नाम तर्क कर संशोधन किया जाना उचित होगा। प्रकरण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। प्रकरणा निर्धारित शुल्क पर पेश है तथा अन्दर मियाद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 15:00:13 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा वाद दो प्रतियो में पेश कर निवेदन है कि वादी/प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर दावा की दफा 3 के अनुसार बनारीलाल, पोलाराम पि.लेखराम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

591 हि. कृष्णादेवी पत्नी पोलाराम 0.590 हि. कमला पुत्री बीरूराम 0.590 हि. जाति जाट सा. लीपाल खातेदार कुल रकबा 1.771 है. संशोधन किया जावे।

वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन, जरिये रजिस्टर्ड डाक व अखबार से तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 वाद पत्र को बिन्दुवार स्वीकार करते हुए जरिये अधिवक्ता सहमति का जवाबदावा पेश किया तथा वादी के वाद पत्र डिक्री करने पर कोई एतराज नही किया है व आई डी की चित्र प्रतियॉ संलग्न जवाब पेश की जो शामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हाजिर नही आने पर इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। वादपत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही किये गये। तथा वाद पत्र के साथ प्रश्नगत भूमि के संबंध में दिनांक 18.02.2020 को पटवारी/गिरदावर द्वारा की गई रिपोर्ट मय दैनिक डायरी भी प्रस्तुत की गई है। जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि तहसील संगरिया के अपवादित खाता चक 20 एमजेडी की जमाबंदी सम्वत 2068–2071 के खाता संख्या 84/75 के संबध में पटवारी हल्का व रिपोर्ट गिरदावर के आधार पर मूलतः वादपत्र मुताबिक जमाबंदी पेश किया है। जमाबंदी के कुल रकबा में वादपत्र के पैरा संख्या 3 वादी/प्रतिवादीगण का मौका पर वास्तविक कृषि भूमि पर कब्जा है तथा वादपत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण का भौतिक रूप से कब्जा नही है केवल जमाबंदी में नाम अंकित है। इससे अनावश्यक वाद बहुलता बढ़ती है। इनके नाम व हिस्सा राजस्व रिकार्ड से हटाया जावे। इसलिए वाद वादी डिक्री किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण को वाद पत्र के पैरा संख्या 3 अनुसार डिक्री किया जावे व वाद पत्र के पैरा संख्या 4 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में संशोधन के आदेश पारित किये जावे। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 अधिवक्तागण द्वारा भी अपने जवाब दावा अनुरूप कथन कर वादपत्र मुताबिक अनुतोष डिक्री करने का कथन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। चक 20 एमजेडी की जमाबंदी सम्वत 2068–2074 के खाता संख्या 84/75 खाता हेतराम वगैरा प्रदर्श 1 में वाद पत्र व अपवादित खाता रिपोर्ट पटवारी/गिरदावर हल्का में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से वाद पत्र के पैरा संख्या 2 से 4 अनुसार कृषि भूमि पक्षकारो के नाम से दर्ज है। वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित काश्तकारो के नाम से भूमि तो दर्ज राजस्व रिकार्ड है किन्तु भौतिक रूप से कब्जा नहीं होने से अनावश्यक वाद बहुलता बढना संभावित है तथा भ्रामक स्थिति राजस्व रिकार्ड के संबंध में प्रकट होती है जो काबिल दुरूस्ती है। वादपत्र में जरिये सम्मन उपस्थित प्रतिवादीगण ने भी सहमति का जवाब दावा पेश कर वाद पत्र मुताबिक अनुतोष डिक्री करने पर कोई एतराज नही किया है। अतः वादी का वाद पत्र मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/गिरदावर हल्का अपवादित खाता डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 16:00:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा व रिपोर्ट पटवारी/गिरदावर अपवादित खाता के आधार पर डिक्री किया जाता है कि :– चक 20 एमजेडी की जमाबंदी सम्वत 2068–2071 के खाता संख्या 84/75 में वादी एवं प्रतिवादी बनारीलाल, पोलाराम पि. लेखराम 0.591 हि. कृष्णादेवी पत्नी पोलाराम 0.590 हि. कमला पुत्री बीरूराम 0.590 हि. जाति जाट सा.धोलीपाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त खाते में कुल रकबा 1.771 हैक्टे. होगा तथा चक 20 एमजेडी की जमाबंदी सम्वत 2068–2071 के खाता संख्या 84/75 इस खाते में पोकरराम बुधराम पि. छोटूराम मु.ग्यारसी बेवा छोटूराम बहिब 3.162 हि.लालूराम बल्द कालूराम कौम कुम्हार सा.धोलीपाल मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/गिरदावर कब्जा काश्त नही होने कारण उक्त खाते से हिस्सा व नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। रिपोर्ट अपवादितं खाता पटवारी हल्का/गिरदावर उक्त निर्णय का जुज रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 15:00:13 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा व रिपोर्ट पटवारी/गिरदावर अपवादित खाता के आधार पर डिक्री किया जाता है कि :– चक 20 एमजेडी की जमाबंदी सम्वत 2068–2071 के खाता संख्या 84/75 में वादी एवं प्रतिवादी बनारीलाल, पोलाराम पि. लेखराम 0.591 हि. कृष्णादेवी पत्नी पोलाराम 0.590 हि. कमला पुत्री वीरूराम 0.590 हि. जाति जाट सा.धोलीपाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त खाते में कुल रकबा 1.771 है. होगा तथा चक 20 एमजेडी की जमाबंदी सम्वत 2068–2071 के खाता संख्या 84/75 इस खाते में पोकरराम बुधराम पि. छोटूराम मु.ग्यारसी बेवा छोटूराम बहिव 3.162 हि.लालूराम वल्द कालूराम कौम कुम्हार सा.धोलीपाल मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/गिरदावर कब्जा काश्त नही होने कारण उक्त खाते से हिस्सा व नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। रिपोर्ट अपवादित खाता पटवारी हल्का/गिरदावर उक्त निर्णय का जुज रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 15:00:13 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिय

पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–157/2020

वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

पोलाराम पुत्र लेखराम जाति जाट सा.धोलीपाल। वादी

बनाम

1. पोकरराम पुत्र छोटूराम जाति कुम्हार सा.धोलीपाल।
2. बुधराम पुत्र छोटूराम जाति कुम्हार सा.धोलीपाल।
3. ग्यारसी पत्नी छोटूराम जाति कुम्हार सा. धोलीपाल।
4. लालूराम पुत्र कालूराम जाति कुम्हार सा.धोलीपाल।
5. बनवारी लाल पुत्र लेखराम जाति जाट सा.धोलीपाल।
6. कमला पुत्री बीरूराम जाति जाट सा.धोलीपाल।
7. कृष्णादेवी पत्नी पोलाराम जाति जाट सा.धोलीपाल
8. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुढानिया वकील वादी मिन जामिन मुदई वकील प्रतिवादीगण श्री मनीराम सहू प्रतिवादी 5 ता 7 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती हैः– चक 20 एमजेडी की जमाबंदी सम्वत 2068–2071 के खाता संख्या 84/75 में वादी एवं प्रतिवादी बनारीलाल, पोलाराम पि. लेखराम 0.591 हि. कृष्णादेवी पत्नी पोलाराम 0.590 हि. कमला पुत्री बीरूराम 0.590 हि. जाति जाट सा.धोलीपाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त खाते में कुल रकबा 1.771 है.. होगा

चक 20 एमजेडी की जमाबंदी सम्वत 2068–2071 के खाता संख्या 84/75 इस खाते में पोकरराम बुधराम पि. छोटूराम मु.ग्यारसी बेवा छोटूराम बहिब 3.162 हि.लालूराम वल्द कालूराम कौम कुम्हार सा.धोलीपाल मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/गिरदावर कब्जा काश्त नही होने कारण उक्त खाते से हिस्सा व नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन है तो बैंक ऋण यथावत रहेगा। रिपोर्ट अपवादित खाता पटवारी हल्का/गिरदावर उक्त डिक्री का जुज रहेगा।

निज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....X....निल....X....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना अर्जी की तारीख वसूल....तक....X....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत आज दिनांक 30.8.2024 ....को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 15:00:13 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया